NRrhlx< 'kklu]
mPp f'k{kk foHkkx

विवरणिका 2017–18

शासकीय
महाप्रभु वल्लभाचार्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुन्द
जिला - महासमुन्द (छ.ग.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्ध,
महासमुन्द जिले का अग्रणी महाविद्यालय

–:: नई योजनाऐं ::–

- निःशुल्क पी.एस.सी. कोचिंग
- निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश कोचिंग
- निःशुल्क कम्प्यूटर साक्षरता
- निःशुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श
- प्रतिभा प्रोत्साहन योजना
- एक पौधा–एक विद्यार्थी योजना
- विद्यार्थियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम
- रोजगारपरक परामर्श कार्यक्रम

प्राचार्य की कलम से ...

होनहार युवा साथियों विद्वान प्राध्यापकगण एवं कर्मठशील समस्त अधिकारी–कर्मचारीगण, आप सभी को नये शिक्षा सत्र की शुभकामनाऐं।

ßu fg Kkusu ln'ka ifo=feg fo|rsþ

"Nothing is more sacred than the education (Knowledge)"

शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिले का अग्रणी महाविद्यालय है, जो अपने गौरवशाली इतिहास में सफलता के लिए नये सोपानों को प्राप्त करते हुए 51 वर्ष 2015 में पूर्ण कर चुका है, और 53 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संस्था प्रमुख होने के नाते यह मेरा दायित्व होगा कि महाविद्यालयीन उपलब्धियों को वर्तमान उंचाईयों से और ऊपर ले जाकर सफलताओं के नये कीर्तिमानों की पताका लहराने में अपने सर्वस्व प्रयास करूं। छात्र–छात्राओं में आपार प्रतिभाएं है, एवं प्रत्येक विद्यार्थी अपने युवा जोश एवं उत्साह से परिपूर्ण है। महाविद्यालयीन स्टॉफ भी पग–पग पर उनका उचित मार्गदर्शन कर उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान करने प्रयासरत रहते हैं। मेरा विश्वास है कि इस महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों का निवर्हन उत्कृष्ट रूप से करते हुए नवीन भारत के निर्माण में अपनी उपयोगिता एवं सार्थकता सिद्ध करेगा। चरित्र निर्माण नैतिक मूल्यों के प्रति सजगता अति आवश्यक है। मौलिक सोंच व अनुसंधान हमें नयी दिशा देने में सक्षम है। साथ ही संस्कारयुक्त हमारी परम्परा हमारे चहुमुखी विकास में सहायक सिद्ध होगी।

पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता अति आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन विषय के अन्तर्गत परिणाम–मूलक प्रयास किया जाना समय की मांग है, जिसे पूरा करने के लिए हम सभी कृतसंकल्पित हैं। वृक्षारोपण एवं प्रदूषण मुक्ति के उपाय हमारे अध्ययन–अध्यापन का अनिवार्य अंग है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने का अर्थ है कि हम विभिन्न अभावों में संघर्षरत् रहते हुए उच्च शिक्षा की ऊँचाईयों के अपने लक्ष्य को साकार कर माता–पिता, घर–परिवार की स्थिति को मजबूत कर समाज सेवा के लिए एक अच्छे इंसान के रूप में तैयार कर सकें।

¼Mk- ,- d- [kjs½
प्राचार्य,

महाविद्यालयीन जनभागीदारी समिति अध्यक्ष ...

युवा ऊर्जा को यदि सार्थक दिशा प्रदान की जाये तो सृजनात्मक कार्यों की योजना असम्भव शब्द की सीमा को भी पार कर जाती है। युवा शक्ति के निर्माण हेतु शिक्षा प्रथम अनिवार्य सोपान है, जिससे विद्यार्थी को अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का बोध होता है। मुझे गर्व है कि मैं जिले के सबसे बड़े एवं अग्रणी महाविद्यालय के उचित संचालन एवं शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु गठित जनभागीदारी समिति का नेतृत्वकर्ता हूँ। जनभागीदारी समिति सदैव प्रयासरत् रहती है कि विद्यार्थियों की छोटी सी छोटी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके, जिससे महाविद्यालय में विद्यार्थी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रत्येक क्षेत्र में कर सके।

मुझे आशा ही नहीं वरन् विश्वास है कि इस वर्ष भी समस्त छात्र–छात्राऐं सफलता के नये कीर्तिमानों की गाथा लिखेंगे। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए जनभागीदारी समिति सदैव तत्पर है।

¼iue pUnzkdj½
अध्यक्ष,
जनभागीदारी प्रबन्धन समिति

शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

विवरणिका

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

बागबाहरा शिक्षा समिति की ओर से महासमुन्द नगर में इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1965 में की गयी। दिनांक 1 सितम्बर 1981 को यह महाविद्यालय शासन के अधीन किया गया। शासकीयकरण के पश्चात् इस महाविद्यालय के विकास के नये सोपान प्रारम्भ हुए। वर्तमान में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातक के साथ हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, रसायन शास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं गणित में स्नातकोत्तर स्तर की अध्यापन व्यवस्था है। यह एक मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र है तथा महासमुन्द जिले का अग्रणी एवं एकमात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय है।

स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए. का अध्यापन कार्य विगत वर्षों से प्रारम्भ किया जा चुका है। कम्प्यूटर साक्षरता के महत्व को देखते हुए इस सत्र से चरणबद्ध रूप से समस्त छात्र/छात्राओं के लिए कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार महाविद्यालय में पी.जी. डिप्लोमा–इन–योगा, एम.एस.–सी. प्राणीशास्त्र एवं भौतिक शास्त्र प्रस्तावित है।

छात्र/छात्राओं के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए महाविद्यालय में खेलकूद, एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. की बालक एवं बालिका इकाई की गतिविधियाँ, यूथ रेडक्रॉस का गठन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाता है। जनभागीदारी समिति के सहयोग से पुराने भवन की मरम्मत, साईकल स्टैण्ड एवं क्रीडा मैदान का निर्माण किया गया है। जिससे छात्र/छात्राओं के लिए खेलकूद का वातावरण तैयार किया जा सके। महाविद्यालय में विशालकाय सभागार एवं ग्रंथालय भवन उपलब्ध है।

महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में विश्वविद्यालयीन सम्बद्धता के अन्तर्गत लागू विषय की जानकारी

dyk l:dk; %&

- स्नातक स्तर – बी.ए.खण्ड 01, बी.ए.खण्ड 02, बी.ए.खण्ड 03

1. अनिवार्य विषय : हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय (कोई तीन) : हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य/इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान

- स्नातकोत्तर स्तर – एम.ए. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर
  हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र (30 सीट)

okf.T; l:dk; %&

- स्नातक स्तर – बी.कॉम.खण्ड 01, बी. कॉम.खण्ड 02, बी. कॉम.खण्ड 03
  विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों में से महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय.
- स्नातकोत्तर स्तर – एम.कॉम. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर
  विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों में से महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय.

foKku l:dk; %&

- स्नातक स्तर – बी.एस–सी.खण्ड 01,बी.एस–सी.खण्ड 02,बी.एस–सी.खण्ड 03

1. अनिवार्य विषय : हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय (समूह) : गणित समूह – गणित, भौतिकी, रसायन
   विज्ञान समूह –प्राणीशास्त्र,वनस्पति शास्त्र,रसायन

- स्नातकोत्तर स्तर – एम.एस–सी. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर
  रसायन शास्त्र/वनस्पति शास्त्र/गणित

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों में से महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय.

dEI;Vj l:dk; %&

- डी.सी.ए. – प्रथम सेमेस्टर/द्वितीय सेमेस्टर – किसी भी विषय से (हायर सेकेण्डरी) 12वीं. परीक्षा उत्तीर्ण
- पीजीडीसीए.– प्रथम सेमेस्टर/द्वितीय सेमेस्टर – किसी भी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण

fofHkUu d{kkvk d iFke o"k e io'kkfFk;k d fy, fu/kkfjr l[;k

Lukrd ,o fMIykek d{kk,

विवरण	स्नातक				कम्प्यूटर डिप्लोमा	
	B.A.01	B.Com.01	B.Sc.01		D.C.A.	P.G.D.C.A.
			Biology	Maths		
निर्धारित सीट	400	200	250	150	100	120

LukrdkRrj d{kk,

विवरण	एम.ए. (कला)						एम.कॉम. (वाणिज्य)	एम.एस–सी. (विज्ञान)		
	Hindi	English	Political Sc.	History	Economics	Sociology		Chemistry	Botany	Maths
निर्धारित सीट	40	40	40	40	35	40	50	55	30	30

'kYd fooj.k

1	शासकीय शुल्क –			
	शिक्षण शुल्क	स्नातक	:	115.00
		स्नातकोत्तर	:	135.00
	लेखन सामग्री		:	2.00
	प्रवेश शुल्क		:	3.00
	पुनः प्रवेश शुल्क		:	10.00
	विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क		:	20.00
2	अशासकीय शुल्क –			
	छात्रसंघ शुल्क		:	2.00
	निर्धन छात्र कल्यांण शुल्क		:	5.00
	परिचय पत्र		:	40.00
	बीमा शुल्क		:	4.00
	सम्मिलित निधि यूनियन गतिविधि		:	37.00
	महाविद्यालय विकास शुल्क		:	50.00
	सायकल स्टैण्ड शुल्क		:	80.00
	महाविद्यालय ग्रंथालय विकास शुल्क		:	20.00
	रेडक्रॉस शुल्क		:	25.00
	आन्तरिक परीक्षा शुल्क (त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक)		:	50.00
	धरोहर राशि (काशनमीन)			
	ग्रंथालय	स्नातक	:	200.00
		स्नातकोत्तर	:	300.00

3	विश्वविद्यालय शुल्क –		
	विश्वविद्यालय शारीरिक कल्याण	:	150.00
	छात्रसंघ शुल्क	:	1.00
	अप्रवाशन शुल्क	:	300.00
4	स्ववित्तीय शुल्क –		
	अ) पी.जी.डी.सी.ए. प्रथम किश्त		
	प्रवेश के समय	:	6000.00
	द्वितीय किश्त प्रथम सेमेस्टर		
	परीक्षा परिणाम के उपरान्त	:	2000.00
	ब) डी.सी.ए. प्रथम किश्त		
	प्रवेश के समय	:	5000.00
	द्वितीय किश्त प्रथम सेमेस्टर		
	परीक्षा परिणाम के उपरान्त	:	2000.00
5	जनभागीदारी शुल्क –		
	समिति के निर्णयानुसार		

6- 'kYd efDr dh lfo/kk

छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत/पेंशन प्राप्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क में पूर्ण रियायत केवल स्नातक स्तर पर दी जाती है। द्वितीय श्रेणी राजपत्रित कर्मचारियों के उन बच्चों को भी शिक्षण शुल्क में पूर्ण रियायत प्रदान की जाती है, जिनकी आमदनी शासन द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। छात्राओं को शिक्षण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की जाती है।

7- 0;fDrRo fodkl vkj Nk=&Nk=kvk dk fy, lfo/kk,

1- ØhMk foHkkx

इस महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के लिए व्हालीवाल, बास्केटबाल, हॉकी, टेबल–टेनिस, बेडमिन्टन, कबड्डी, शतरंज, खो–खो, फुटबॉल, थ्रोबॉल, क्रिकेट, एथेलेटिक्स खेलों की सुविधा उपलब्ध है।

2- ,u-lh-lh-&ckyd Ldt/k

इस महाविद्यालय में 27 सी.जी. बटालियन एन.सी.सी. रायपुर के अन्तर्गत एन.सी.सी. की एक कम्पनी है, जिसमें छात्र भर्ती किये जाते हैं। वर्तमान में इस कम्पनी में 53 छात्रों को एन.सी.सी. का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस सत्र में कम्पनी में 107 छात्रों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रस्तावित है।

एन.सी.सी. में भर्ती होने का फार्म एन.सी.सी. अधिकारी से प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक रेजिमेंटल फीस के साथ जमा करना आवश्यक है।

3- jk"Vh; lok ;ktuk & iq:"k bdkbZ ,o efgyk bdkbZ

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना की एक–एक पुरूष एवं महिला इकाई कार्यरत है। जिसमें महाविद्यालय के 100 छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश फार्म कार्यक्रम अधिकारी के पास उपलब्ध रहेगा।

रा.से.यो. के छात्र–छात्राओं को समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास अवसर प्राप्त होता है। निर्धारित समय अवधि में सेवा कार्य पूर्ण करने पर विश्वविद्यालय द्वारा “बी” एवं “सी” प्रमाण–पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

4- jsMØkl bdkbZ & महाविद्यालय में यूथ रेडक्रॉस सोसायटी एवं रिबन क्लब का गठन किया गया है।

5- xzFkky;

1. महाविद्यालय में ग्रंथालय से पुस्तकें नियमानुसार आन्तरिक व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गमन की सुविधा है।
2. पुस्तकें ग्रंथालय कार्ड से आधार पर कार्डधारी छात्र–छात्रा को ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर ही दी जावेगी। अतः प्रत्येक छात्र–छात्राओं को प्रवेश पश्चत् अपना ग्रंथालय कार्ड ले लेना चाहिए।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एव बी.पी.एल. छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी एवं पुस्तकें परीक्षा तक निःशुल्क वितरित की जाती है, तथा पुस्तकें परीक्षा उपरान्त अनिवार्य रूप से ग्रंथालय में जमा करना है।
4. पुस्तकें निश्चित संख्या व दिनों के लिए निर्गमित होगी, निर्धारित समय पश्चात् प्रतिदिन एक रूपये अर्थदण्ड देना होगा।
5. महाविद्यालय का सर्वसुविधा युक्त ग्रंथालय सह वाचनालय भवन उपलब्ध है।

6- ih&,p-Mh- 'kks/k dsUnz

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा इस महाविद्यालय में पी–एच.डी. उपाधि हेतु हिन्दी एवं राजनीति शास्त्र में शोध केन्द्र की सुविधा प्रदान की गई है। इन विषयों में पी–एच.डी. उपाधि हेतु शोध कार्य करने के इच्छुक छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर शोध केन्द्र सुविधा दी जावेगी। साथ ही जनभागीदारी प्रबन्धन समिति शुल्क 300.00 एवं छःमाही 120.00 रूपये वाचनालय शुल्क देना होगा।

7- ifjp; i= dh f}rh; izfr dk izko/kku

महाविद्यालय में प्रवेश छात्र–छात्राओं को प्रदत्त परिचय पत्र यदि गुम जाता है तो उन्हें द्वितीय प्रति कार्यालय द्वारा जारी की जायेगी। इसके लिए छात्र–छात्राओं को अपने हस्तलिखित आवेदन–पत्र के साथ आरक्षी केन्द्र में प्रेषित आवेदन पत्र की छायाप्रति, नोटरी से प्राप्त शपथ पत्र तथा चालान द्वारा शुल्क राशि 20.00 रूपये जमा कर पावती संलग्न कर जमा करना अनिवार्य होगा।

8- tuHkkxhnkjh lfefr

प्रदेश शासन उच्च शिक्षा के आदेशानुसार इस महाविद्यालय में भी जनभागीदारी समिति का उद्देश्य महाविद्यालय विकास के लिए आर्थिक संसाधनों को निर्मित करना है।

9- lnHkkouk dks"k

महाविद्यालय में सत्र 2016–17 से सद्भावना कोष की स्थापना की गई है। जिसका उद्देश्य महाविद्यालय में अध्ययनरत निर्धन और जरूरतमंद छात्र–छात्राओं की सहायता हेतु एक कोष का निर्माण करना है। इस कोष में संग्रहित धनराशि से ऐसे नियमित छात्र–छात्राओं को मदद के रूप में राशि प्रदान की जावेगी जो प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ है। इस कोष हेतु राशि का संग्रहण महाविद्यालयीन स्टॉफ एवं छात्र–छात्राओं से स्वेच्छापूर्वक दी गयी सहयोग राशि से की जायेगी। उदाहरणार्थ यदि किसी छात्र ने अपने जन्मदिवस के दिन स्वयं की इच्छा से सहयोग राशि इस कोष में देने की इच्छा व्यक्त की हो तो स्वीकार होगा। समय एवं परिस्थितिनुसार इस कोष की राशि से निर्धन छात्र–छात्राओं की मदद की जायेगी एवं ऋ़ण के रूप में भी राशि प्रदान की जायेगी।

10- Nk= ifrHkk ikRlkgu ;ktuk

सत्र 2016–17 से ही इस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसमें महाविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त एवं महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप नगद राशि अथवा पदक प्रदान किया जावेगा। महाविद्यालयीन स्टॉफ अपने स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम से एक निश्चित धनराशि महाविद्यालय को देंगे, जिसे बैंक में सावधि जमा किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष उस सावधि जमा से प्राप्त ब्याज की राशि आहरित कर सर्वोत्तम अंक प्राप्तकर्ता छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत किया जावेगा।

11- i;koj.k ijh{kk

परम्परानुसार विगत वर्षों तक प्रथम वर्ष के नियमित परीक्षार्थियों से पर्यावरण विषय की सैद्धान्तिक प्रोजेक्ट फाईल के स्थान पर सत्र 2016–17 से प्रायोगिक कार्य के स्वरूप में परिवर्तन कर ऐसा कुछ सृजनात्मक कार्य कराया जा रहा है, जिससे वास्तविक रूप से पर्यावरण के ह्रास को रोका जा सके और बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण हेतु सार्थक प्रयास हो सके।

12- ,d fo|kFkh ,d ik/kk ;ktuk

महाविद्यालय में सत्र 2016–17 में वृक्षारोपण करया गया। सभी संकायों के स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए ''एक छात्र–एक पौधा'' का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक स्टॉफ ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। वृक्षारोपण करने वालों के नाम की पट्टिका भी लगाई गयी है। महाविद्यालय प्रागण में छात्र–छात्राओं द्वारा 410 पौधे एवं कन्या छात्रावास परिसर में महाविद्यालयीन स्टॉफ द्वारा 75 पौधे रोपे गये हैं।

13- ,yfeuh ,lkfl,'ku

महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा सत्र 2016–17 में एलुमिनी एसोसिएशन का गठन किया गया है। महाविद्यालय स्तर पर एलुमिनी एसोसिएशन का गठन किया जाएगा।

14- fu%'kYd ih-,l-lh- dkfpx O;oLFkk

महाविद्यालय में प्रत्येक शनिवार को प्रातः 11:00 से 01:00 बजे तक स्वामी विवेकानन्द सभागार में किया जा रहा है। जिसमें महाविद्यालयीन छात्रों के अलावा महासमुन्द जिले के सभी इच्छुक छात्र–छात्राएँ शामिल हो रहे हैं। जिले में अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित एवं चयनित हो इस हेतु उन्हें मार्गदर्शन देने एवं प्रेरित करने हेतु यह कोचिंग महाविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक शनिवार को 11:00 बजे महाविद्यालय के अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा पी.एस.सी. पाठ्यक्रम पर आधारित विषय से सम्बन्धित अध्यापन पी.एस.सी. पैटर्न के आधार पर किया जा रहा है, साथ ही सामान्य अध्ययन, हिन्दी भाषा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, सामान्य मानसिक योग्यता, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के विकास हेतु अध्यापन किया जा रहा है।

महाविद्यालय में लगभग 80 प्रतिशत प्राध्यापक पी.एस.सी. से चयनित है, इसलिए विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभ मिल रहा है। प्राध्यापक पी.एस.सी. पैटर्न को ध्यान मे रखकर विद्यार्थियों को यह बताते हैं, कि प्रतियोगी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखा जाता है, मार्किंग कैसे की जाती है। विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करने हेतु उनके द्वारा भी प्रेजेन्टेशन किया जाता है, एवं परिचर्चा होती है, जिससे अधिकाधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। भविष्य में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु जिला प्रशासन में पी.एस.सी. से चयनित अनुभवी प्रशासकीय अधिकारियों के प्रेरणात्मक व्याख्यान के आयोजन की योजना है।

निःशुल्क पी.एस.सी. कोचिंग को संचालित करने हेतु समिति का गठन किया गया है। जिसके संरक्षक प्राचार्य डॉ. ए. के. खरे, संयोजक डॉ. रीता पाण्डेय, सह–संयोजक डॉ. दुर्गावती भारतीय, सदस्य डॉ. अनुसुईया अग्रवाल, डॉ. जया ठाकुर, डॉ. वैशाली गौतम हिरवे हैं।

15- fu%'kqYd euksoSKkfud ijke'kZ

महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है। इसकी सहायता से वे अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों एवं दबाव का सामना करने के लिए खुद को समर्थ बना पाते हैं।

16- mUeq[khdj.k dk;ZØe

महाविद्यालय के नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु सत्र के आरम्भ मे ही उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जिसमें वे समस्त अकादमिक एवं कार्यालयीन स्टॉफ से परिचित हो जाते हैं। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों से जुड़े रोजगार के अवसरों से भी अवगत कराया जाता है।

17- fu%'kqYd dEI;wVj lk{kjrk d{kk,¡

महाविद्यालय के द्वारा अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। जिसके लिए समस्त संकाय के विद्यार्थियों हेतु समय सारिणी कम्प्यूटर विभाग में उपलब्ध है।

18- fu%'kqYd Liksdu bafXy'k d{kk,¡

महाविद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को ऑडियों एवं विज्युअल माध्यम की सहायता से निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने खाली समय का उपयोग सकारात्मक रूप से कर पाते हैं।

19- vU; fo'ofo|ky; ds v/;;u@ijh{kk dsUnz rFkk d{kk,¡

महाविद्यालय में पं.सुन्दरलाल शर्मा, (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर का अध्ययन केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र की अधिकृत सुविधा है। इसके अलावा दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र, डॉ. सी. वी. रमन, विश्वविद्यालय, बिलासपुर का अध्ययन केन्द्र स्थापित है।

20- dU;k Nk=kokl

सत्र 2017–18 में कन्या छात्रावास में प्रवेश देना प्रारम्भ किया जा रहा है।

21- izos'k izfØ;k

1. सत्र 2017–18 में ऑनलाईन एवं ऑफ–लाईन प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित है।
2. सीट उपलब्ध होने पर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर स्वीकार किये जावेंगे।
3. विगत वर्ष वार्षिक परीक्षा के समय जिन छात्र/छात्राओं ने ग्रंथालय से अदेय प्रमाण पत्र नहीं लिया है, उनके अगली कक्षा में प्रवेश का अन्तिम निर्णय प्राचार्य द्वारा लिया जायेगा।

22- izos'k lEcU/kh ekxZn'kZd fl)kUr

उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, आवेदकों को प्रवेश इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार दिया जावेगा। राज्य शासन को समय–समय पर इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

(क) स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर में प्रवे"ा हेतु महाविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवे"ा के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवे"ा हेतु बोर्ड/वि"वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

(ख) महाविद्यालय में प्रवे"ा की अधिकतम संख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निि"चत की गयी है, इसमें वृद्धि उच्च ि"ाक्षा संचालनालय की अनुमति कि बिना संभव नहीं है।

(ग) प्रवे"ा गुणांनुक्रम के आधार पर होगा तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलंगता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पाल्य के लिए प्रवे"ा हेतु स्थान आरक्षित होंगे। स्थानीय आवेदकों को प्रवे"ा में प्राथमिकता होगी।

(घ) प्रवे"ा हेतु चयनित आवेदकों को प्रवे"ा सूची निर्धारित अंतिम तिथि तक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के प"चात् ही प्रवे"ा जमा करने की अनुमति दी जायेगी।

(ड़) निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवे”ा मान्य होगा।

(च) घोषित प्रवे”ा सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं के नियमानुसार प्रवे”ा हेतु विलम्ब शुल्क 100 रूपये अ”ाासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा तथापि ऐसे प्रकरणों मे 30 जुलाई के प”चात् प्रवे”ा की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवे”ा नहीं दिया जा सकेगा। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिर्पोट एवं पूर्व प्रवे”ा प्राप्त संस्था से अधिकृत रिर्पोट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो तथा प्रवे”ाार्थी से वचन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवे”ा दिया जा सकेगा।

17- ih-th-Mh-lh-,@Mh-lh-,- esa izos'k

स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत संचालित पी.जी.डी.सी.ए/डी.सी.ए. कक्षा में प्रवे”ा हेतु अर्हकारी परीक्षा 2016 में उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर विचार करते हुए, स्थान रिक्त रहने पर घटते क्रम में अन्य आवेदनों पर विचार किया जावेगा। वर्ष 2016 के स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को पी.जी.डी.सी.ए/डी.सी.ए. में प्रवे”ा की पात्रता नहीं होगी।

18- izos'k dh ik=rk

(क) छत्तीसगढत्र के मल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्ध”ाासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारियों जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू क”मीर के विस्थापितयों तथा उनके आश्रितों को ही महाविद्यालय में प्रवे”ा दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवे”ा देने के प”चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवे”ा दिया जा सकेगा।

(ख) सम्बद्ध वि”वविद्यालय से या सम्बद्ध वि”वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालयों और वि”वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवे”ा की पात्रता होगी।

19- Lukrd Lrj ij fu;fer izos'k

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवे”ा की पात्रता होगी किन्तु वाणिज्य संकाय और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवे”ा नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रम”ा द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवे”ा की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

20- LukrdksRrj Lrj ij fu;fer izos'k

(क) बी.काम./बी.एस–सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की एम.काम./एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस–सी. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी./एम.ए. में नियमित प्रवे”ा पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवे”ा की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धाति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवे”ा की पात्रता होगी।

21- ckg; vkosndk dk izos'k

(क) स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी वि”वविद्यालय/स्वा”ाासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रम”ाः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवे”ा की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि”वविद्यालय/स्व”ाासी महाविद्यालय पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने तथा वि”वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प”चात् ही नियमित प्रवे”ा दिया जा सकेगा।

(ख) छत्तीसगढ़ के बाहर स्थिति वि”वविद्यालय/स्व”ाासी महाविद्यालय से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य वि”वविद्यालय/स्व”ाासी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध वि”वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के प”चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवे”ा दिया जा सकेगा।

(ग) विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

(घ) अस्थायी प्रवे”ा की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवे”ा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवे”ा लेना अनिवार्य होगा।

(ड़) स्नातक स्तर प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवे”ा की पात्रता होी किन्तु बाह्य आवेदकों को अस्थायी प्रवे”ा की पात्रता नहीं होगी।

(च) पूरक परीक्षा में अनुउत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवे”ा स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवे”ा नियमित प्रवे”ा के रूप में मान्य किया जावेगा।

22- izos'k gsrq vkgZrk,¡

(क) किसी भी महाविद्यालय/वि”वविद्यालय f”ाक्षण विभाग के किसी संकाय को कक्षा में प्रवे”ा लेने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवे”ा की पाता नहीं होगी यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवे”ा नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवे”ा हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिसमें प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवे”ा नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवे”ा दिया जावेगा।

(ख) जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहें हो परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों /अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतवानी के बाद सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ऐसे छात्र–छात्राओं को प्रवे”ा नहीं दिया जायेगा।

(ग) महाविद्यालय में तोड़फोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र–छात्राओं को प्राचार्य प्रवे”ा देने के लिए अधिकृत है।

(घ) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष 22 व स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष के अधिक आयु के आवेदकों को प्रवे”ा की पात्रता नहीं होगी। आयु गाना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी। परन्तु अनुसूचित जाति/ अनूसचित जन जाति/ पिछड़ा वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ड) पूर्णकालिक शासकीय/अ”ाासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि मं लगने वाली कक्षाओं में नियमित प्रवे”ा की पात्रता होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाली कक्षाओं में प्रवे”ा हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवे”ा दिया जावेगा।

(च) किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को इस महाविद्यालय के अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवे”ा कीपात्रता नहीं होगी।

fo'ks"k (क) जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी जानबुझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्र”ाासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीव”ा यदि किसी आवेदकों को प्रवे”ा मिल गया है तब ऐसे प्रवे”ा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगी।

(ख) प्रवे”ा लेकर किसी समूचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवे”ा निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

23- i.o'k grq x.kkuqde dk fu/kkj.k

उपलबध स्थान से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रवे”ा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रति”ात अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में होगा तथा अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची घोषित की जावेगी।

24- i.o'k grq izkFkfedrk

(क) प्रथम वर्ष स्नातकोत्र/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

(ख) स्नातकोत्र/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/उत्तीर्ण स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

25- vkj{k.k

प्रवे”ा छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –

(क) अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रम”ाः 12 प्रति”ात तथा 32 प्रति”ात स्थान आरक्षित होगें। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होगें। प्रवे”ा की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.वि. वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पांच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.वि. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।

(ख) पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रति”ात स्थान आरक्षित होंगे।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र –पुत्रियों तथा दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रति”ात स्थान आरक्षित रहेंगे दिव्यांग आवेदकों को प्राप्तांको को 10 प्रति”ात अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(घ) सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रति”ात सथान महिला छात्रों के लिए आरक्षित होंगे।

(ङ) आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटि”ान में नियमानुसार मेरिट सेची में रखा जाता है, तो अनारक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

(च) आरक्षित स्थान का प्रति”ात 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रति”ात एवं एक प्रति”ात के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

(छ) समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।

26- vf/kHkkj &

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रति”ात पर ही अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवे”ा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के प”चात् बाद में लाये जाने/जमा किया जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अभिार देय होगा।

1- ,u-lh-lh-@,u-,l-,l-@LdkmV~l

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रोवर्स/रेजर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रति”ात
(ख)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रति”ात
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रति”ात
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालय एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रति”ात
(ड)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीगसढ़ के एन.सी.सी./एन. एस.एस. कटिन्जेस में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रति”ात
(च)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रति”ात
(छ)	राष्ट्रपति स्काउट्स	05 प्रति”ात
(ज)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रति”ात
(झ)	ड्यूक आफ एडनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रति”ात
(न)	भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन. एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को	15 प्रति”ात
2-	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवे”ा लेने पर	10 प्रति”ात

3- खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ:

(i) लोक ि”ाक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ शासन उच्च ि”ाक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंजर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्यों को	02 प्रति”ात
(ख)	व्यक्ति प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रति”ात

(ii) उपयुक्त कंडिका 3(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग, राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजितअर्न्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं अथवा भारतीय वि”वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्यों को	06 प्रति”ात
(ख)	व्यक्ति प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रति”ात
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रति”ात

4- भारतीय वि”वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित/संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रति”ात
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रति”ात
5-	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कलच्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रति”ात

6- छत्तीगसढ़ शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क)	छत्तीगसढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रति”ात
(ख)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रति”ात
7-	जम्मू क”मीर के विस्थपितों तथा उनके आश्रितों को	01 प्रति”ात

27- fo'k"k i kR I kgu

छत्तीगसढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियड/एि”ायाड /स्पोर्टस अथाकरटी आफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेन वाले विद्यार्थियों को बैगर गुणानुक्रम के आगामी ि”ाक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवे”ा दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

1. इस प्रकार के प्रमाण –पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आव”यक होगा।
3. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय एवं द्वितीय वर्ष में प्रवे”ा हेतु पूर्व सत्र प्रमाण –पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

28- ldk;@fo"k;@leg ifjoru

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवे"ा चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रति"ात घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवे"ा लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर प्रवे"ा की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जावेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी। जिनके प्राप्तांक संबंधी विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवे"ा पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हो।

• vkpj.k lfgrk

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वे शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होगें। विवरणिका दर्शित वचन पत्र का अनिवार्य रूप से प्रवेश के समय भरकर प्रस्तुत करना होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में देगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों में पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली—गलौज, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं शालीनतापूर्वक व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर—उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आन्दोलन हिन्सा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा मांगों को मनवाने राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. अध्ययन कक्ष में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

- **v/; ;u lEcU/kh fu;e**
  1. प्रत्येक विषय मे विद्यार्थी को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एनसीसी/एनएसएस. में भी लागू होगी, अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
  2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
  3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों को पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
  4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शान्तिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
  5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़–फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

- **i jh{kk lEcU/kh fu;e**
  1. विद्यार्थी सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
  2. अस्वस्थता के कारण आन्तरिक परीक्षा में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
  3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग का प्रयत्न गम्भीर दुराचरण माना जायेगा।

- **egkfo|ky; iz'kklu dk vf/kdkj {k=**
  1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
  2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच वर्ष का कारावास की सजा या 5000 रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
  3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
  4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र में तथ्यों को छिपायेगा अथ्वा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उन्हें महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

- egkfo|ky;hu Lrj ij miyC/k gksus okys Nk=ofRr;ksa dk fooj.k

jkT; 'kklu dh Lohd`r Nk=ofRr;ka &

1. स्नातक योग्यता छात्रवृत्तियॉ – 30 माह के लिए देय है। रू. 150.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति हेतु वे ही छात्र–छात्राऐं आवेदन करें जिन्होंने हायर सेकण्डरी 10+2 की परीक्षा 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो।
2. स्नातक योग्यता सह–साधन शिष्यवृत्ति – 30 माह के लिए देय है। रू. 150.00 प्रतिमाह शिष्यवृत्ति हेतु वे ही छात्र–छात्राऐं आवेदन करें जिन्होंने हायर सेकण्डरी 10+2 की परीक्षा 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो।
3. स्नातकोत्तर उपाधि के लिए योग्यता छात्रवृत्ति – 20 माह के लिए देय है। रू. 250.00 प्रतिमाह स्नातक उपाधि परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।
4. स्नातकोत्तर उपाधि के लिए योग्यता सहायता सहसाधन शिष्यवृत्ति – 20 माह के लिए रू. 250.00 प्रतिमाह देय होगा।

   Vhi &% mijksDr Nk=ofRr ds fy, firk@vfHkkHkkod dh vk; 24000@& :- okf"kZd ls vf/kd u gksA

5. दिव्यांग छात्रवृत्ति – स्नातक स्तर पर 125 रू. प्रतिमाह (9 माह) तक स्नातकोत्तर स्तर पर 175 रु. प्रतिमाह (9 माह) तक।
6. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति – यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के लिए है। जिसे ऑनलाईन भरकर हार्डकॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करना है।
7. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति – महाविद्यालय में अध्ययनरत बी.पी.एल. (गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले) श्रेणी के छात्र–छात्राओं के लिए बुक बैक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण योजना के तहत छात्रवृत्ति की सुविधा है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए छात्र–छात्राओं को आवेदन फार्म के साथ शासन द्वारा प्रदत्त बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति – इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑनलाईन कर हार्डकॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करना है।
9. निर्धन कल्याण सहायता राशि – महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त।

   Vhi &% Nk=ofRr grq vkosnu djus okys Nk=&Nk=k dks fdlh Hkh jk"Vªh;d`r cSad esa cpr cSad [kkrk [kqyok vfuok;Z gS] rFkk cpr [kkrk ds iklcqd dh Nk;kizfr] Nk=ofRr vkosnu i= ds lkFk layXu djuk vfuok;Z gSA

fo'ks"k Vhi %&

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।
2. छात्रवृत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें।
3. एक विद्यार्थी को केवल एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
4. शासन के आदेशानुसार समय–समय पर संशोधन सम्भावित है।

- vkonu i= d: lkFk l:yXu fd;: tku: oky: i:ek.k i= bR;kfn dh l:ph %&

1. दो पासपोर्ट साईज फोटो।
2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि।
3. 10वीं से लेकर जिस कक्षा में प्रवेश ले रहे है, उसके पूर्व तक की समस्त अंकसूचियों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियॉ।
4. चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि/महाविद्यालय राजपत्रित अधिकारी/संस्था प्रमुख से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।
5. अप्रवास प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि (दूसरे विश्वविद्यालय/बोर्ड से आने वाले छात्र–छात्राओं के लिए)
6. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पाल्य सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि.
7. तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पुत्र–पुत्रियॉ विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि।
8. ऐसे आवेदक जो किसी शासकीय/अशासकीय संस्था में कार्यरत है, नियोक्ता से अनुमति पत्र संलग्न करें।

ukV &%

1- i:o'k d: le; mDr i=k: dh ey:i:fr d: lkFk l:yXu ,UVh j:fx:x 'kiFk i= vFkok vkuykbu www.antiragging.in tek fd;: x;: ,UVh j:fx:x 'kiFk i= dh i:fr i:Lr:r djuk vfuok;l g:A
2- jkT; 'kklu d: vkn:'kku:lkj Lo:i:ekf.kr i:ek.k i= Lohdk;l gk:xkA

महाविद्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित जानकारी

डॉ. ए. के. खरे
प्राचार्य,

डॉ. अनुसुईया अग्रवाल, प्राध्यापक
विभागाध्यक्ष, हिन्दी

डॉ. जया ठाकुर, प्राध्यापक
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र

डॉ. ए. करीम, सहा. प्राध्या.
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य

डॉ. रविन्द्र नाथ मिश्रा
क्रीडा अधिकारी

श्रीमती करूणा दुबे, सहा. प्राध्या.
विभागाध्यक्ष, रसायन

श्री एस.बरवा, सहा. प्राध्या.
विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी

श्री एम.एस.वर्मा,
सहा.प्राध्या. राजनीतिशास्त्र

डॉ. रीता पाण्डेय
विभागाध्यक्ष,इतिहास

डॉ.आर.के. देवांगन
सहा. प्राध्या. वाणिज्य

डॉ.एस.बी.कुमार,सहा.प्राध्या.
विभागाध्यक्ष, राजनीति

डॉ.मालती तिवारी,
सहा. प्राध्या. राजनीति
एवं कार्यक्रम अधि. रा.से.यो. म.ई.

डॉ.नीलम अग्रवाल, सहा.प्राध्या.
विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र

डॉ.आर.के. अग्रवाल
सहा. प्राध्या. अर्थशास्त्र
प्रभारी.अधि.यूथ रेडक्रॉस

श्री सी. खलखो,
सहा.प्राध्या. अंग्रेजी

श्री एस.आर. रात्रे,
ग्रंथपाल

श्रीमती जयश्री पंचागम,
सहा.प्राध्या. मनोविज्ञान

डॉ.वैशाली गौतम हिरवे, सहा.प्राध्या.
विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान

श्री मनीराम धीवर सहा. प्राध्या.
विभागाध्यक्ष, भौतिकी

डॉ.दुर्गावती भारतीय,
सहा.प्राध्या.हिन्दी

श्री लोकेश कुमार सतपथी, सहा.प्राध्या.
विभागाध्यक्ष गणित

महाविद्यालय कार्यालयीन कर्मचारीगण

श्री विषणु प्रसाद चन्द्रकार
छात्रावास अधीक्षक

श्री एस.आर. मन्नाडे,
सहा.वर्ग 02

श्री मनोज शर्मा,
सहा.वर्ग 03

श्री वेद देवांगन,
डा.ए.ऑ.

श्री पी.जी. बंसोड़,
प्रयोगशाला तकनीशियन
भौतिक शास्त्र

श्री जी.एल. चन्द्राकर
प्रयोगशाला तकनीशियन
प्राणी शास्त्र

श्री बी.एल. साहू,
प्रयोगशाला तकनीशियन
छात्रवृत्ति प्रभार

श्री एस.आर.मानकर,
प्रयोगशाला तकनीशियन
रसायन शास्त्र

श्री डुलेश्वर ठाकुर
प्रयोगशाला तकनीशियन
वनस्पति शास्त्र

श्री कुन्दन देवांगन
प्रयोगशाला परिचारक

सुश्री कृतिका नेताम
प्रयोगशाला परिचारक

श्री शेष नारायण साहू
प्रयोगशाला परिचारक

श्री केशर कश्यप
प्रयोगशाला परिचारक

श्रीमती पूर्णिमा साहू
प्रयोगशाला परिचारक

श्री गूलापू राम साहू
भृत्य

श्री देवनारायण अग्रवाल
भृत्य

श्री लालसिंग सहीस
भृत्य

श्री सुशील जांगडे
चौकीदार

श्री चैनसिंह चन्द्राकर
स्वीपर

अन्तर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता - (क्षेत्र स्तर एवं अखिल भारतीय स्तर)
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2016-17

सोनिया बांधे,
हैण्डबाल/ बास्केटबाल
आल इंडिया प्रतियोगिता
वाराणासी/भुनेश्वर

धर्मेन्द्र साहू,
नौकायान
आल इंडिया प्रतियोगिता
पंजाबी विवि. पंजाब

बेनजीर खान,
हैण्डबाल,
आल इंडिया प्रतियोगिता
वाराणासी

वार्षिक परीक्षा 2016 के विश्वविद्यालयीन प्रावीण्य सूची
में स्थान प्राप्त छात्र-छात्राऐं

दविन्दर कौर
एम.कॉम.
चतुर्थ स्थान

कृतिका पूंज,
एम.कॉम.
पंचम स्थान

भारती चक्रधारी
एम.ए.
अर्थशास्त्र
आठवां स्थान

चांदनी चन्द्राकर
एम.ए.
इतिहास
दसवां स्थान

नेहा साहू,
बी.ए.
अन्तिम
नौंवा स्थान

रौशनी बग्गा,
बी.कॉम.
अन्तिम
दसवां स्थान

महाविद्यालयीन छात्रसंघ में निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों की जानकारी

महाविद्यालयीन छात्रसंघ 2016–17

अमित यादव, बी.ए. 02
अध्यक्ष

पूनम नेभानी, पीजीडीसीए.
उपाध्यक्ष

सन्नी यादव, बी.कॉम.03
सचिव

दीपक ठाकुर, पीजीडीसीए.
सह–सचिव

महाविद्यालयीन छात्रसंघ 2015–16

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	सह–सचिव
अनिशा मेमन, बी.कॉम. 03	सीताराम कन्नौजे एम.ए.राजनीति प्रथम सेमेस्टर	खेमराज ध्रुव, एम.एस.सी. रसायन प्रथम सेमेस्टर	तेजेस्वनी चन्द्राकर बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष

महाविद्यालयीन छात्रसंघ 2014–15

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	सह–सचिव
देवेन्द्र निषाद पीजीडीसीए. प्रथम सेमेस्टर	सोनम चन्द्राकर, एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर	प्रवीण साहू, बी.एस.सी. अन्तिम वर्ष	जया मारकण्डे, एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर रसायन शास्त्र

<u>**महाविद्यालय के उपलब्धियों की झलकियाँ**</u>

- **jk-l-;k- vUrxZr mUur Hkkjr vfHk;ku**

महाविद्यालय रा.से.यो. महिला इकाई द्वारा केन्द्र सरकार की योजना उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत महासमुन्द जिले के ग्राम बरोण्डाबाजार का चयन किया गया। जो कि 18 से 25 जुलाई 2016 तक कुपोषण विरूद्ध महा अभियान के अन्तर्गत सात दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कॉलेज ऑफ डेयरी साईंस एवं फूड टेक्नालॉजी, कामधेनू विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित किया गया।

- efgyk vkRe lqj{kk gsrq djkVs izf'k{k.k

महाविद्यालय रा.से.यो. महिला इकाई द्वारा पुलिस प्रशासन सहयोग से आत्म सुरक्षा हेतु कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 300 छात्राऐं लाभान्वित हुई है।

- ;x yhMl vokM

भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम के तहत पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा रा.से.यो. की महिला इकाई को प्रथम स्थान दिया गया है।

- ,u-lh-lh-

महाविद्यालय की एन.सी.सी. पुरूष इकाई सक्रीय रूप से कार्यरत है। इस इकाई द्वारा एन.आई.सी., आर.डी.सी., टी.एस.सी., आर्मी कैम्प आदि में सहभागिता की जाती है। महाविद्यालय के हरीश दास मानिकपुरी, बी.ए. भाग 02 थल सेना कैम्प में सहभागिता दे चुके हैं।

- ;Fk jMØkl bdkbZ

महाविद्यालय में यूथ रेडक्रॉस इकाई भी संचालित है। इस इकाई द्वारा समय–समय पर रक्त परीक्षण, विभिन्न बिमारियों के प्रति जागरूकता अभियान किया जाता है। इस इकाई के सदस्यों द्वारा रक्त दान शिविर का भी आयोजन इस वर्ष किया गया।

महाविद्यालयीन स्मरण चित्र....

महामहिम राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करती हुई डॉ. मालती तिवारी, कार्यक्रम अधिकारी(म.ई)

छात्रसंघ शपथग्रहण कार्यक्रम में प्राचार्य का सम्बोधन

वार्षिकोत्सव में सम्मानीय अतिथिगण

वार्षिकोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम

पुरस्कृत रा.से.यो. स्वयंसेवक

रा.से.यो. स्वयं सेवक परेड में सहभागी

रा.से.यो. शिविर में अतिथिगण एवं स्वयं सेवक

उन्नत भारत अभियान अन्तर्गत ग्राम बरोण्डाबाजार में प्रशिक्षण शिविर

शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में विद्यार्थी एवं सहा.प्राध्यापक

महाविद्यालयीन विभिन्न क्रीडा प्रतियोगिताऐं

स्वामी विवेकानन्द जयन्ती

राष्ट्रीय सद्भावना दिवस

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस

निःशुल्क पी.एस.सी. कोचिंग का उद्घाटन

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस